परिशिष्ट - "क"
[21/3/2023]

प्रश्न सं. [क. 2752]

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर संभाग- एक

वाणिज्यिक कर भवन, कलेक्टरेट रोड, घण्टाघर के पास, जबलपुर पिन 482001 फोन: 0761-2627959
E-mail : dc.jb11@mptax.mp.gov.in

क्रमांक-वा.कर/उपा/प्रवर्तन/ 431 जबलपुर, दिनांक 24/02/23

प्रति,

(संशोधित)

आयुक्त,
राज्य कर, मध्य प्रदेश, इन्दौर

विषय :- ट्रेडर्स द्वारा विक्रीत सामग्री में जी एस टी कटौती के संबंध में। (अतारांकित प्रश्न 2752 श्री संजय यादव)
संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क्र. 05/30/ब.वि.स./2023/वक्रीसर/183 इन्दौर दिनांक 22/02/2023

***

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार (अतारांकित प्रश्न 2752 श्री संजय यादव) जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कर श्रीमान की ओर सम्प्रेषित :

(राशि लाखों में)

प्रश्न	उत्तर
(क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत शहपुरा में स्थित ठाकुर बाबा ट्रेडर्स के द्वारा शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्रागत आने वाले ग्राम पंचायतों को निर्माण सामग्री व अन्य आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु विक्रय में जीएसटी कर की कटौती की गई है ? यदि हां तो उक्त ट्रेडर्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 04.04.2019 से वित्तीय वर्ष 2022-23 दिनांक 06.05.2022 तक शहपुरा जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को किये गये विक्रय पर जीएसटी कर की कटौती की गई है ? कितना विक्रय किया एवं कितना कर कटौती की गई तथा कितना कर शासन को जमा हुआ ? उपरोक्त समयावधि के संदर्भ में वित्तीय वर्ष वार जानकारी उपलब्ध करावें।	प्रश्नांश अनुसार ठाकुर बाबा ट्रेडर्स मालों के प्रदायकर्ता है। मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत माल और सेवा प्रदायकर्ता (पूर्तिकर्ता) द्वारा माल और सेवा प्रदाय करने पर जीएसटी कर कटौती किए जाने के प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
(ख) बरगी विधानसभा के जनपद शहपुरा क्षेत्रांतर्गत रितेश ट्रेडर्स एवं राघव ट्रेडर्स द्वारा जनपद पंचायत शहपुरा की पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किये गये विक्रय में कितनी जीएसटी कटौती की गई है एवं कितना कर प्राप्त हुआ ? उपरोक्त समयावधि के संदर्भ में वित्तीय वर्षवार ट्रेडर्सवार जानकारी उपलब्ध करायें।	प्रश्नांश अनुसार मे. राघव ट्रेडर्स तथा मे. राघव ट्रेडर्स मालों के प्रदायकर्ता है। मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत माल और सेवा प्रदायकर्ता (पूर्तिकर्ता) द्वारा माल और सेवा प्रदाय करने पर जीएसटी कर कटौती किए जाने के प्रावधान नहीं हैं। शेष प्रश्नांश उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

Mailed to ouf. ho
On 24/02/23
@ 4:50 pm

प्रभारी संभागीय संयुक्त आयुक्त,
राज्य कर, जबलपुर संभाग-एक

Scanned with OKEN Scanner